फा0 सं0 16–8/2014–डीडीआरसी
भारत सरकार
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग

...

दिव्यांगजन सषक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अधीन मुख्य दिव्यांगजन आयुक्त के पद की भर्तीः

. सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन मुख्य दिव्यांगजन आयुक्त, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के पद के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं।

1. **पद का नामः–** मुख्य दिव्यांगजन आयुक्त, (सीसीपीडी)।
2. **मुख्यालयः** नई दिल्ली।
3. **वेतनमानः** भारत सरकार के सचिव के लिए स्वीकार्य अनुसार 2,25,000 रूपए प्रतिमाह (निश्चित) वेतन और भत्ते।

   जहां मुख्य आयुक्त सेवानिवृत्त कार्मिक अथवा सरकार द्वारा वित्त–पोषित किसी सस्थान और स्वायत्त निकाय के सेवानिवृत कार्मिक होने के कारण वह अपनी ऐसी पिछली सेवा के संबंध में पेंशन प्राप्त करता है, इन नियमों के अधीन उनको स्वीकार्य वेतन पेंशन की राशि तक कम कर दिया जाएगा और यदि उन्हें पेंशन के एक भाग के स्थान पर प्राप्त हुआ था, पेंशन के ऐसे कम्यूटेड भाग की राशि तक उसका कम्यूटेड मूल्य कम कर दिया जाएगा।

4. आयु सीमाः यहां क्रम सं. 8 के अधीन दिनांक 01.01.2019 को 60 वर्ष से अधिक नहीं।

5. शैक्षिक अर्हताएंः–

   अनिवार्यः– किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक।

   वांछनीयः– बशर्ते कि वरीयता समाज कार्य अथवा कानून अथवा प्रबंधन अथवा मानव अधिकार अथवा पुनर्वास अथवा दिव्यांगजन शिक्षा में मान्यता प्राप्त डिग्री अथवा डिप्लोमा धारक व्यक्तियों को दी जाएगी ।

6. अनुभवः– उम्मीदवार के पास दिव्यांगता मामलों, सामाजिक क्षेत्र से जुड़े केन्द्रीय सरकार अथवा किसी राज्य सरकार अथवा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम अथवा अर्द्व–सरकारी अथवा स्वायत्त निकाय में समूह ''क'' स्तर के पद अथवा दिव्यांगता और सामाजिक विकास के क्षेत्र

में पंजीकृत राष्ट्रीय और अन्तरराष्ट्रीय स्वैच्छिक संगठन में वरिष्ठ स्तर के अधिकारी के रूप में 25 वर्ष का अनुभव होना चाहिए ।

बशर्ते कि उम्मीदवार के पास 25 वर्षों के अनुभव में पुनर्वास और सशक्तिकरण के क्षेत्र में न्यूनतम 3 वर्षों का अनुभव होना चाहिए ।

7. भर्ती का पद्धति :– मुख्य दिव्यांगजन आयुक्त के पद के लिए भर्ती की पद्धति सभी श्रेणी के व्यक्तियों के लिए सीधी भर्ती द्वारा है। केन्द्रीय/राज्य सरकार के कर्मचारी के मामले में, वह नियुक्ति से पूर्व अपनी ऐसी सेवा से सेवानिवृत्ति की मांग करेंगे।

8. (क) मुख्य आयुक्त की अवधिः– मुख्य आयुक्त के कार्यालय की अवधि उसके कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए या पैंसठ वर्ष की आयु पूरी करने तक, जो भी पहले हो, होगी ।

(ख) एक व्यक्ति 65 वर्ष की अधिकतम आयु सीमा के अधीन अधिकतम दो अवधि के लिए मुख्य आयुक्त के रूप में सेवा कर सकते हैं।

9. **मुख्य आयुक्त की शक्तियॉ, कर्त्तव्य और काम–काज**

मुख्य आयुक्त करेंगेः–

(क) किसी कानून अथवा नीति, कार्यक्रम और प्रक्रियाओं के प्रावधानों, जो दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (आरपीडब्ल्युडी) के साथ असंगत हैं, स्व–प्ररेणा अथवा अन्यथा अभिज्ञात करेगा और आवश्यक सुधारात्मक उपायों की सिफारिश करेगा।

(ख) स्वप्रेरणा अथवा अन्यथा, दिव्यांगजनों के अधिकारों से वंचित रहने की जांच करना और उन मामलों के संबंध में सुरक्षा उपलब्ध कराना जिनके लिए कन्द्रीय सरकार उपयुक्त सरकार है और सुधारात्मक कार्रवाई के लिए मामले को उचित प्राधिकारियों के समक्ष उठाना।

(ग) आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 के तहत उपलब्ध कराई गई सुरक्षा अथवा दिव्यांगजनों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए लागू उस समय के किसी अन्य कानून की समीक्षा करना और उनके प्रभावी कार्यान्वयन के उपायों की सिफारिश करना।

(घ) उन कारकों की समीक्षा करना जो दिव्यांगजनों को अधिकारों का लाभ लेने में बाधक हैं और उपयुक्त सुधारात्मक उपायों की समीक्षा करना।

(ड़) दिव्यांगजन के अधिकारों पर संधियों और अन्य अन्तरराष्ट्रीय तंत्रों का अध्ययन करना और उनके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सिफारिश करना।

(च) दिव्यांगजनों के अधिकारों के क्षेत्र में शोध करना और शोध को बढ़ावा देना।

(छ) दिव्यांगजनों के अधिकारों और उनकी सुरक्षा के लिए उपलब्ध सुरक्षा उपायों की जागरूकता को बढ़ावा देना।

(ज) दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के प्रावधानों और दिव्यांगजनों के लिए निर्धारित योजनाओं, कार्यक्रमों, के क्रियान्वयन की निगरानी करना।

(झ) दिव्यांगजनों के लाभार्थ केन्द्रीय सरकार द्वारा संवितरित निधियों के उपयोग की निगरानी करना।

(ञ) केन्द्र सरकार द्वारा सौंपे गए ऐसे अन्य कार्यों का निष्पादन करना।

उन्हें आरपीडबल्यूडी अधिनियम, 2016 के तहत किसी भी मामले पर अपने कार्यों का निर्वहन करते समय आयुक्तों से परामर्श लेना होगा।

जब कभी वह उपर्युक्त खंड 9 (ख) के अनुसरण में किसी प्राधिकारी को यह सिफारिश करते हैं कि वह प्राधिकारी इस पर आवश्यक कार्रवाई करेंगे और सिफारिश की वह प्राप्ति की तारीख से तीन महीनों के भीतर की गई कार्रवाई मुख्य आयुक्त को सूचित करें।

बशर्ते कि जहां कोई प्राधिकारी सिफारिश को स्वीकार नहीं करता है, तो यह तीन महीनें की अवधि के भीतर मुख्य आयुक्त को गैर–स्वीकार्यता के कारण सूचित करेगा और पीड़ित व्यक्ति को भी सूचित करेगा।

उसके पास मुकदमा दायर करते समय वहीं शक्तियां होंगी जो सिविल प्रक्रिया, 1908 की आचार–संहिता के तहत एक सिविल न्यायालय को दी गई हैं, इस संबंध में निम्नलिखित मामले हैं :–

(क) गवाह को उपस्थिति के लिए समन जारी करना और विवश करना;

(ख) जांच – पड़ताल और किसी दस्तावेज के प्रस्तुतीकरण की मांग करना;

(ग) किसी अदालत या कार्यालय से किसी भी सार्वजनिक रिकार्ड या उसकी प्रति की मांग करना;

(घ) शपथ–पत्र पर साक्ष्य प्राप्त करना ; और

(ड.) गवाहों अथवा दस्तावेजों के जांच के लिए सम्मन जारी करना।

उसके सम्मुख हुई प्रत्येक कार्यवाही भारतीय दण्ड संहिता की धारा 193 और 228 के अभिप्राय से न्यायिक कार्यवाही होगी और उन्हें आपराधिक प्रक्रिया, 1973 की संहिता की धारा 195 और अध्याय 26 के उद्देश्य के लिए सिविल न्यायलय समझा जाएगा।

आरपीडल्यूडी अधिनियम, 2016 की धारा 78 के अनुसार, मुख्य आयुक्त पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान की गतिविधियों का पूर्ण लेखा देते हुए प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेंगे। केन्द्रीय सरकार द्वारा यह रिपोर्ट संसद के प्रत्येक सदन के सम्मुख रखी जाएगी।

मुख्य आयुक्त और उन्हें उपलब्ध कराया गया स्टाफ लोक कार्मिक माने जाएंगे।

10 मुख्य आयुक्त की सेवा के अन्य निबन्धन और शर्तें:–

(1) छुट्टी:

मुख्य आयुक्त ऐसी छुट्टी के हकदार होंगे जैसा कि केन्द्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) नियमवली, 1972 के तहत सरकारी कार्मिकों के लिए स्वीकार्य है।

(2) **छुट्टी यात्रा रियायत:–**

मुख्य आयुक्त ऐसी छुट्टी यात्रा रियायत के हकदार होंगे जैसा कि केन्द्रीय सिविल सेवा (छुट्टी यात्रा रियायत) नियमवली, 1998 के तहत समूह ''क'' के अधिकारियों के लिए स्वीकार्य है।

(3) चिकित्सा लाभ:–

मुख्य आयुक्त ऐसे चिकित्सा लाभांश के हकदार होंगे जैसा कि केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना के तहत समूह ''क'' अधिकारियों के लिए स्वीकार्य है ।

11. शेष प्रावधान:

मुख्य आयुक्त की सेवा की वे शर्ते जिनके संबंध में इस नियमावली और आदेशों में कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं किया गया है वह भारत सरकार के सचिव के लिए लागू शर्तों के अनुसार होंगी।

12. पात्र उम्मीदवार अपने आवेदन निर्धारित प्रपत्र (अनुबंध) में सहायक दस्तावेजों के साथ इस विज्ञापन के प्रकाशन के 30 दिनों के भीतर श्री विकास प्रसाद, निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, कमरा सं. 519, बी–2, विंग, 5वॉ तल, पं. दीनदयाल अन्त्योदय भवन, सीजीओ काम्प्लेक्स, नई दिल्ली–110003 को भेज

सकते हैं। केन्द्रीय/राज्य सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम/स्वायत्त निकाय आदि में कार्यरत व्यक्ति अपने आवेदन उचित माध्यम द्वारा भेज सकते हैं तथापि, अपने आवेदन की एक अग्रिम प्रति श्री विकास प्रसाद, निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, कमरा सं. 519, बी–2, विंग, 5वॉ तल, पं. दीनदयाल अन्त्योदय भवन, सीजीओ काम्प्लेक्स, नई दिल्ली–110003 को भेजी जाए।

अनुबंध

मुख्य दिव्यांगजन आयुक्त, के पद के लिए आवेदन हेतु प्रपत्र

1. (क) पूरा नाम (स्पष्ट अक्षरों में) ।
   (ख) आवासीय पता, दूरभाषा संख्या और ई–मेल पते के साथः

2. जन्म तिथि (01.01.2019 को आयु):

3. (क) शैक्षिक और अन्य अर्हताएं:
   (ख) प्रकाशित शोध–पत्र (संक्षेप में ब्यौरों का उल्लेख किया जाए)
   (अलग से कागज नत्थी करें)

4. अनुभव का विवरण (अलग से कागज नत्थी करें) ।

कार्यालय/संगठन	संगठन का संक्षिप्त विवरण	धारित पद वेतनमान / समेकित वेतन सहित	सेवा–काल –– से –– तक	नियुक्ति की प्रकृति कैसे है नियमित /तदर्थ/ प्रतिनियुक्ति / मानद	कर्त्तव्य/कार्य–विवरण

5. वर्तमान रोजगार के विषय में अतिरिक्त ब्यौरे, कृपया उल्लेख करें किसके तहत कार्यरत हैं, :–

I. केन्द्रीय सरकार
II. राज्य सरकार/संघ शासित प्रशासन
III. मान्यता प्राप्त शोध संस्थान
IV. विश्वविद्यालय/स्वायत अथवा सांविधिक संगठन
V. सार्वजनिक उपक्रम
VI. पंजीकृत निकाय (पंजीकरण अधिनियम, न्यास अधिनियम, राज्य/संघ शासित प्रदेश के किसी अन्य संबंधित अधिनियम या चैरिटेबल कम्पनी, कम्पनी अधिनियम की धारा 25 के तहत लाईसेंस प्राप्त के अधीन पंजीकृत)
VII. आन्तरिक एजेंसी/सांसायटी/संघ आदि
(यदि पंजीकृत निकाय में है तो संगठन के आकार और काम–काज के क्षेत्र का उल्लेख किया जाए) ।

6. अतिरिक्त सूचना, यदि कोई हो, जिसे आप अपनी पात्रता के समर्थन में उल्लेख करना चाहेंगे ।

7. क्या आप अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/दिव्यांग श्रेणी से संबंधित हैं?

8. आपके आवेदन के साथ उपलब्ध करायी गई सूचना/दस्तावेज अपर्याप्त होने की स्थिति में जिनसे अतिरिक्त सूचना/स्पष्टीकरण प्राप्त किए जा सकते हैं, ऐसे दो व्यक्तियों के नाम, पते और दूरभाष संख्या का उल्लेख करें।

उम्मीदवार के हस्ताक्षर
पत्राचार हेतु पूरा पता

दिनांकः
स्थानः